

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक—257/2023

भोपाल, दिनांक—18/12/23

// विविध आदेश //

माह जनवरी 2024 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए **निम्नानुसार तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल** के न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे:—

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जनवरी
1	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	1
2	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	7
3	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	13
4	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	14
5	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	15
6	श्री रवि नायक, जेएमएफसी	20
7	श्रीमती हर्षिनी यादव, जे.एम.एफ.सी.	21
8	सुश्री राखी देवलिया, जेएमएफसी	26
9	श्री राजन गुप्ता, जेएमएफसी	28

नोट:—

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए **मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश** का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा **प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर** जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमांड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:—

1. **माह जनवरी 2024 में सुश्री राखी देवलिया जेएमएफसी तह. बैरसिया भोपाल**

3. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

अनुमोदित

(अमर सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल

15.12.2023

अभिताभ मिश्र

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म0प्र0